सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सुरिंदर सिंह सभरवाल, दविंदर कौर और सफीना आनंद, ने ब्लॉक–सी2, सेक्टर–11, डीएलएफ मॉडल टाउन फरीदाबाद, तहसील बड़खल, जिला फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित संपत्ति संख्या 13, क्षेत्रफल 747 वर्ग गज के पूर्ण और बिना किसी विवाद के मालिक होने और उसके कब्ज़े का दावा करते हैं। मेसर्स प्रीसीटेक टर्निंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपने निदेशक देवेंद्र पॉल अरोड़ा के माध्यम से निष्पादित दिनांक 27.03.2024 बिक्री विलेख के आधार पर है। और नीचे दिए गए मूल दस्तावेज, जो उस संपत्ति से जुड़े श्रृंखला दस्तावेज़ का हिस्सा था, जिसके खो जाने की खबर है:

- बिक्री विलेख दिनांक 06.06.2009, जिसे गोपाल कृष्ण ने अटॉर्नी राजेश अरोड़ा के ज़रिए मेसर्स प्रीसीटेक टर्निंग्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में जिसके निदेशक डी. पी. अरोड़ा के माध्यम से निष्पादित किया था। (दस्तावेज़ संख्या 1911)

अब, रवि सरोट ने सुरिंदर सिंह सभरवाल, दविंदर कौर और सफीना आनंद से ऊपर बताई गई संपत्ति खरीदने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए वे हमारे मुवक्किल आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड से इस संपत्ति की सिक्योरिटी पर लोन की सुविधा लेंगे। यदि किसी व्यक्ति को उक्त संपत्ति में कोई प्रभार/हित/स्वामित्व है या किसी भी प्रकार का विवाद है, तो कृपया अधोहस्ताक्षरी को नीचे दिए गए पते पर लिखित रूप में वर्तमान से 10 दिनों के भीतर सूचित करें।

सहवाज शेख, अधिवक्ता
वरिष्ठ विधि प्रबंधक, नॉर्थ आई एडवाइजर्स
बी–220, द्वितीय तल, नोएडा वन, टावर–बी, सेक्टर–62, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201309 ईमेल आईडी– ncr@northeye.co.in
संपर्क संख्या– 7294177027

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती बिमला देवी, ने ब्लॉक–बी, फेज–1, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर–49, फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित संपत्ति संख्या 582, क्षेत्रफल 237 वर्ग गज के पूर्ण और बिना किसी विवाद के मालिक होने और उसके कब्ज़े का दावा करते हैं। (उक्त संपत्ति) शैली चावला द्वारा निष्पादित दिनांक 16.08.2024 की बिक्री विलेख के आधार पर है। और नीचे दिए गए दस्तावेज श्रीमती बिमला देवी के पास मौजूद नहीं है।

- वसीयत का प्रोबेट प्रमाणपत्र (पंजीकृत वसीयत दिनांक 19.03.2012) संतोष द्वारा दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्विजय सिंह कादियान के पक्ष में निष्पादित किया गया था।

अब, श्री राहुल नागपाल, श्रीमती बिमला देवी से ऊपर बताई गई संपत्ति खरीदने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए वे हमारे मुवक्किल आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड से इस संपत्ति की सिक्योरिटी पर लोन की सुविधा लेंगे। यदि किसी व्यक्ति को उक्त संपत्ति में कोई प्रभार/हित/स्वामित्व है या किसी भी प्रकार का विवाद है, तो कृपया अधोहस्ताक्षरी को नीचे दिए गए पते पर लिखित रूप में वर्तमान से 10 दिनों के भीतर सूचित करें।

सहवाज शेख, अधिवक्ता
वरिष्ठ विधि प्रबंधक, नॉर्थ आई एडवाइजर्स
बी–220, द्वितीय तल, नोएडा वन, टावर–बी, सेक्टर–62, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201309 ईमेल आईडी– ncr@northeye.co.in
संपर्क संख्या– 7294177027

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

पारस टॉवर, द्वितीय तल, माजरा
निरंजनपुर, सहारनपुर रोड, देहरादून

आर.सी. नं0 179/2026 दिनांक: 29.06.2026

आईडीबीआई बैंक प्रमाणपत्र धारक

बनाम

अमित कुमार प्रमाणपत्र देनदार

डिमांड नोटिस

सेवा में,

सीडी–नंबर 1. अमित कुमार पुत्र श्री चंद्र पाल, निवासी– फ्लैट नंबर 501, कॉसमॉस जेपी ग्रीन्स, सेक्टर–134, महर्षि नगर, नोएडा–201304, उत्तर प्रदेश।

दूसरा पता : अमित कुमार, निवासी ए15, सी–2, आईआईटी कैंपस, हौज खास, दक्षिण–पश्चिम दिल्ली, जिला दिल्ली, दिल्ली–110016।

ऑफिस का पता: ऐ सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, ऐ–15, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर–3, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301।

डीआरटी देहरादून के पीठासीन अधिकारी द्वारा **ओ0ए0 नंबर 696/2024** में जारी रिकवरी सर्टिफिकेट के अनुसार, आप पर **रूपये 70,16,845.30 (सत्तर लाख सोलह हजार आठ सौ पौंतालीस रुपये और तीस पैसे मात्र)** की राशि बकाया है। इसके साथ ही, दिनांक 05.11.2024 से वसूली होने तक पेंडेंट–लाइट (मुकदमे के दौरान का) और साधारण ब्याज भी देना होगा, जिसकी दरें इस प्रकार हैं : पहले साल के लिए **7.00% सालाना, दूसरे साल के लिए 8.00% और दूसरे साल के बाद बची हुई राशि पर 9.45% राशि देय होगी, साथ ही, रू0 1,18,000** का खर्च भी आपको पूरी तरह से चुकाना होगा।

आपको नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि जमा करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी

आपको आगे की कार्यवाही के लिए **16.10.2026** को सुबह 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त आप भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे :

ए. निष्पादन की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय ब्याज कार्यवाही।

बी. इस नोटिस की सेवा और देय राशि की वसूली के लिए की जाने वाली अन्य प्रक्रिया के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

बी.ए.जी. कन्वर्जेंस लिमिटेड

सीआईएन : L22121DL2007PLC161935
पंजीकृत कार्यालय : 352, अग्रवाल प्लाज़ा,प्लॉट नंबर 8, कॉडली, पूर्वी दिल्ली,नई दिल्ली–110096
कॉर्पोरेट कार्यालयः एफसी–23, सेक्टर–16ए , फिल्म सिटी, नोएडा (उत्तर प्रदेश)–201301 फोनः +91 120 6354200
वेबसाइटः www.bagconvergence.in; ईमेलः info@bagconvergence.in

19वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), ई–वोटिंग और बुक क्लोज़र की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **बी.ए.जी. कन्वर्जेंस लिमिटेड ("कंपनी")** के सदस्यों की 19वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 को शाम 4:00 बजे (आईएसटी)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के ज़रिए आयोजित की जाएगी, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं.14/2020 (08 अप्रैल, 2020), 17/2020 (13 अप्रैल, 2020), 20/2020 (05 मई, 2020), 02/2022 (05 मई, 2022) और बाद के परिपत्र(जिनमें सबसे नया सामान्य परिपत्र सं. 3/2025 है, जो 22 सितंबर, 2025 को जारी हुआ) के अनुपालन में होगा और सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) द्वारा जारी परिपत्र सं.SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 (12 मई,2020) और सबसे नया परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD PoD-2/P/CIR/2024/133 (03 अक्टूबर, 2024) के तहत, सदस्यों की किसी एक जगह पर शारीरिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की प्रक्रिया और तरीके बताए गए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और सेबी(लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के लागू प्रावधानों का पालन करते हुए, और अन्य एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के सदस्यों की 19वीं एजीएम, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

उक्त एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र का पालन करते हुए, कंपनी की 19वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को 01 सितंबर, 2026 को भेजी गई हैं, जिनके ईमेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास रजिस्टर्ड हैं। एक पत्र जिसमें वेब–लिंक और QR कोड (सही पाथ के साथ) दिया गया है, जिसमें 19वीं एजीएम के नोटिस और 2025–26 की सालाना रिपोर्ट की पूरी जानकारी है, उन सदस्यों को भेजा जाएगा जिन्होंने कंपनी, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास अपना ईमेल पता रजिस्टर नहीं कराया है। ऊपर बताए गए एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र के तहत एजीएम के नोटिस और सालाना रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की ज़रूरत को खत्म कर दिया गया है।

सदस्य ध्यान दें कि 19वीं एजीएम का नोटिस और वित्त वर्ष 2025–26 की सालाना रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://bagconvergence.in और स्टॉक एक्सचेंज (यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) की वेबसाइट www.nseindia.com पर उपलब्ध हैं। 19वीं एजीएम का नोटिस नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) (जो ई–वोटिंग सुविधा देने वाली एजेंसी है) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। कंपनी उन सदस्यों को 2025–26 की सालाना रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजेगी जो info@bagconvergence.in पर अपना डीपीआईडी और क्लाइंट आईडी व्यक्त करते हुए इसके लिए खास तौर पर अनुरोध करेंगे।

एक्ट के सेक्शन 91 के प्रावधानों (उसके तहत बने नियमों के साथ) और सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन (समय–समय पर संशोधित) के लागू प्रावधानों के अनुसार, एजीएम के मकसद से कंपनी का सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 से गुरुवार, 24 सितंबर 2026 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन के रेगुलेशन 44, एक्ट के सेक्शन 108 (कंपनीज़ (मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, 2014 के नियम 20 के साथ) और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी जनरल मीटिंग्स पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड (समय–समय पर संशोधित) के अनुसार, सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (ई–वोटिंग) का इस्तेमाल करके 19वीं एजीएम के नोटिस में बताए गए सभी प्रस्तावों पर वोट देने की सुविधा दी गई है। सदस्यों के वोटिंग अधिकार, कट–ऑफ तारीख यानी गुरुवार, 17 सितंबर 2026 को कंपनी की पेड–अप इक्विटी शेयर कैपिटल में उनके पास मौजूद इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे। एनएसडीएल के ज़रिए रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की विस्तृत प्रक्रिया 19वीं एजीएम के नोटिस में दी गई है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम के नोटिस में बताई गई ई–वोटिंग/वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम से संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

1. 19वीं एजीएम के नोटिस में बताए गए कामकाज एनएसडीएल के ई–वोटिंग प्लेटफॉर्म यानी www.evoting.nsdl.com के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किए जाएंगे;
2. रिमोट ई–वोटिंग **रविवार, 20 सितंबर 2026 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) शुरू होगी और बुधवार, 23 सितंबर 2026 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी;**
3. इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट करने की पात्रता (एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग) तय करने के लिए कट–ऑफ तारीख **गुरुवार, 17 सितंबर 2026 है;**
4. सिर्फ वही व्यक्ति एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठा सकता है, जिसका नाम कट–ऑफ तारीख पर डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए सदस्यों के रजिस्टर या लाभार्थियों के रजिस्टर में दर्ज हो। कोई भी व्यक्ति जो 19वीं एजीएम के नोटिस का ईमेल मिलने के बाद कंपनी के शेयर खरीदता है और कंपनी का सदस्य बनता है, और कट–ऑफ तारीख यानी गुरुवार, 17 सितंबर, 2026 को शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से ही रजिस्टर्ड है, तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है;
5. एजीएम में वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से मौजूद सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और जिन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वे वीसी/ओएवीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे;
6. सदस्य ध्यान दें कि:

(क) एनएसडीएल द्वारा ई–वोटिंग के लिए बताई गई तारीख और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा और तय समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी;

(ख) एक बार सदस्यों द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, उन्हें बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी;

(ग) एजीएम में उन सदस्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग से अपना वोट नहीं डाला है;

(घ) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग से प्रस्ताव(वों) पर अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, लेकिन वे ऐसे प्रस्ताव(वों) पर दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

इस नोटिस में बताए गए संबंधित दस्तावेज़ सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देखने के लिए उपलब्ध हैं। सदस्य इस संबंध में info@bagconvergence.in पर कंपनी को लिख सकते हैं और ईमेल के विषय में "Request for Inspection" (निरीक्षण के लिए अनुरोध) लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग/एजीएम से जुड़ी किसी भी पूछताछ/चिंता/शिकायत के लिए, आप कंपनी को : सुश्री कृति जैन, कंपनी सचिव– बी.ए.जी. कन्वर्जेंस लिमिटेड को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय /कॉर्पोरेट कार्यालय को लिख सकते हैं; या info@bagconvergence.in पर ईमेल कर सकते हैं; या +91 120 635 4200 पर कॉल कर सकते हैं।

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता रजिस्टर नहीं किया है और/या अपना बैंक खाता मैंडेट अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास अपना ईमेल पता रजिस्टर/अपडेट करें और/या अपना बैंक अकाउंट अपडेट करें।

निदेशक मंडल ने मैसर्स बालिका शर्मा एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (मेंबरशिप नंबर एफसीएस 4816 और सीओपी नंबर 3222) को संवीक्षक नियुक्त किया है। वे एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करेंगे।

यदि रिमोट ई–वोटिंग (एजीएम से पहले और एजीएम के दौरान) से जुड़ी कोई पूछताछ/शिकायत है, तो आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवाल ('FAQs') और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं। ये www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध हैं अथवा आप टोल–फ्री नंबरः 022–4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, उप उपाध्यक्ष–एनएसडीएल को evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते बी .ए .जी. कन्वर्जेंस लिमिटेड
हस्ताक्षर/–
कृति जैन
कंपनी सचिव
एसीएस : 68277

स्थानः नोएडा
दिनांक : 02.09.2026

पीटीसी इंडिया लिमिटेड

PTC India

सीआईएन : L40105DL1999PLC099328
पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल, एनबीसीसी टावर, 15, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066
वेबसाइट : फोन : 011 – 41659500, 41595100, 46484200, फैक्स : 011 – 41659144
ई–मेल : info@ptcindia.com, वेबसाइट : www.ptcindia.com

27वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **पीटीसी इंडिया लिमिटेड** ("कंपनी") के सदस्यों की **27वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुधवार, 30 सितंबर, 2026 को दोपहर 12.30 बजे (आईएसटी)** वीडियो कॉन्फ्रेंस ("**वीसी**")/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीबद्धता विनियम") के साथ पठित, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा समय–समय पर जारी संबंधित परिपत्रों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों (सामूहिक रूप से "परिपत्र") के अनुपालन में, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने हेतु, कंपनी की ए.जी.एम. सदस्यों की किसी सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

एमसीए एवं सेबी के परिपत्रों के अनुरूप, **27वीं एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट** कंपनी के उन सदस्यों को **02 सितंबर, 2026** को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी गई है, जिनके ई–मेल पते रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट ("आर एंड टीए") अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी") के पास पंजीकृत हैं।

उक्त वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.ptcindia.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com और ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी **नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)** की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रति उन शेयरधारकों को भी भेजी जाएगी, जो इसके लिए हमें cs@ptcindia.com पर लिखकर अनुरोध करेंगे।

सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, उन सदस्यों को भी पत्र भेजे जा रहे हैं, जिन्होंने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है। इन पत्रों में वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट की वेब–लिंक सटीक पथ सहित उपलब्ध कराया गया है।

अधिनियम की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक–2 तथा एम.सी.ए. के परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, सदस्यों को 27वीं ए.जी.एम. की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर **दूरस्थ ई–वोटिंग (एजीएम से पूर्व)** तथा **ई–वोटिंग (एजीएम के दौरान)** के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है।

कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक मतदान सुविधा तथा वी.सी. सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एन.एस.डी.एल. की सेवाएं ली हैं। ए.जी.एम. की सूचना में शेयरधारकों द्वारा दूरस्थ ई–वोटिंग अथवा एजीएम के समय ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने तथा वी.सी. के माध्यम से ए.जी.एम. में सम्मिलित होने की प्रक्रिया से संबंधित निर्देश दिए गए हैं।

वे सदस्य, जिनके पास **23 सितंबर, 2026** की कट–ऑफ तिथि ("कट–ऑफ तिथि") को भौतिक अथवा डीमैट रूप में शेयर हैं, एन.एस.डी.एल. की इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में दिए गए प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दे सकते हैं।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

1. 27वीं ए.जी.एम. की सूचना में निर्धारित कार्यों का निष्पादन केवल **इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान** द्वारा किया जाएगा।
2. दूरस्थ ई–वोटिंग **रविवार, 27 सितंबर, 2026 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी)** प्रारंभ होगी।
3. दूरस्थ ई–वोटिंग **मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी)** समाप्त होगी।
4. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा 27वीं ए.जी.एम. में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने हेतु **कट–ऑफ तिथि 23 सितंबर, 2026** है।
5. जो व्यक्ति 27वीं ए.जी.एम. की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है तथा उसके पास शेयर हैं और वह मतदान करने के लिए पात्र है, वह लॉग–इन आई.डी. एवं पासवर्ड बनाने के लिए एजीएम की सूचना में दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकता है अथवा evoting@nsdl.com पर ई–मेल भेज सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति पहले से ही एन.एस.डी.एल. पर ई–वोटिंग के लिए पंजीकृत है, तो मतदान करने हेतु मौजूदा यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।
6. सदस्यों को ध्यान देना चाहिए कि: **(क)** उपर्युक्त तिथि एवं समय के बाद एन.एस.डी.एल. द्वारा दूरस्थ ई–वोटिंग मॉड्यूल को मतदान हेतु निष्क्रिय कर दिया जाएगा तथा किसी प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा एक बार अपना मत दिए जाने के बाद उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी **(ख)** जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मत दे दिया है, वे एजीएम में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा अपना मत देने का अधिकार नहीं होगा **(ग)** एजीएम. के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा **(घ)** केवल वही व्यक्ति दूरस्थ ई–वोटिंग तथा एजीएम में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा, जिसका नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है।
7. कंपनी द्वारा **श्री आशीष कपूर**, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (**सी.पी. संख्या 7504**), को 27वीं एजीएम में संपूर्ण ई–वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से जांच करने हेतु, अधिनियम एवं नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार **स्क्रूटिनाइजर** नियुक्त किया गया है।
8. स्क्रूटिनाइजर 27वीं वार्षिक आम बैठक में मतदान समाप्त होने के पश्चात अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, लेकिन एजीएम की समाप्ति से **2 (दो) कार्य दिवसों** से अधिक विलंब नहीं होगा। बैठक के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, स्क्रूटिनाइजर द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के साथ ही 27वीं वार्षिक आम बैठक में लिए गए प्रस्तावों पर मतदान के परिणाम की घोषणा करेगा। मतदान के परिणाम, स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट www.ptcindia.com पर प्रदर्शित किए जाएंगे तथा साथ ही **बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)** और **एनएसडीएल** को भी सूचित किए जाएंगे।

दूरस्थ ई–वोटिंग तथा ए.जी.एम. मे मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न/समस्या के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.) तथा ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं अथवा 022–4886 7000 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा **सुश्री पल्लवी म्हात्रे, एनएसडीएल** को e-voting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

बोर्ड के आदेश द्वारा
वास्ते **पीटीसी इंडिया लिमिटेड**

हस्ता./–
(राजीव महेश्वरी)
कम्पनी सचिव
एफसीएस : 4998

तिथि : 02 सितम्बर, 2026
स्थान : नई दिल्ली

SAATVIK FOR A BETTER FUTURE

सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड

(पूर्व में सात्विक ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
सीआईएन : एल40106एचआर2015पीएलसी075578
पंजीकृत कार्यालय : गांव डुबली, वी.पी.ओ. बिहता, तहसील अंबाला, हरियाणा–133101, भारत
कॉरपोरेट कार्यालय : टावर ए, इफ्को कॉम्पलेक्स, प्लॉट संख्या 3, संस्थागत क्षेत्र सेक्टर–32, गुरूग्राम, हरियाणा–122001, फोन: 0124-3626755
वेबसाइट : www.saatvikgroup.com, **ई.मेल:** investors@saatvikgroup.com

11वीं वार्षिक आम सभा की सूचना तथा ई–वोटिंग संबंधी जानकारी का प्रेषण

सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने अपनी 11वीं वार्षिक आम सभा (''11वीं AGM'') की सूचना का प्रेषण पूरा कर लिया है। कंपनी की 11वीं वार्षिक आम सभा गुरुवार, **24 सितंबर 2026 को प्रातः 11:30 बजे (भारतीय मानक समय)** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''VC'') / अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यम (''OAVM'') सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इस बैठक में 14 अगस्त 2026 दिनांकित वार्षिक आम सभा की सूचना ("सूचना") में उल्लिखित कार्यों को पूरा किया जाएगा। यह बैठक निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020 और 03/2025, क्रमशः 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020 और 22 सितंबर 2025 को जारी किए गए तथा अन्य सभी संबंधित परिपत्रों (सामूहिक रूप से "उक्त परिपत्र") के अनुपालन में तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की सूचीबद्धता संबंधी बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं के प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, 11वीं वार्षिक आम सभा आयोजित करने संबंधी सूचना, वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट ("वार्षिक रिपोर्ट 2026") के साथ, जिसमें अन्य तथ्यों के अलावा 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय विवरण तथा निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल हैं, बुधवार, 02 सितंबर 2026 को उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई है, जिनके ई–मेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, जिन शेयरधारकों के ई–मेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें कंपनी की वेबसाइट का वेब लिंक और क्यूआर कोड उपलब्ध कराने वाला एक पत्र भेजा जा रहा है, जहां से वार्षिक आम सभा की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2026 प्राप्त की जा सकती है। वार्षिक आम सभा की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2026 कंपनी की वेबसाइट **www.saatvikgroup.com**, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएससी लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया की वेबसाइट **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** तथा नेश्नल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड ("NSDL") की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध हैं। सूचना में उल्लिखित सभी दस्तावेज सदस्यों द्वारा सूचना के प्रसारण की तारीख से वार्षिक आम सभा की तारीख तक बिना किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य **investors@saatvikgroup.com** पर ई–मेल भेज सकते हैं।

रिमोट ई–वोटिंग संबंधी जानकारी : अधिनियम की धारा 108 के अनुपालन में, जिसे कंपनियाँ (''प्रबंधन एवं प्रशासन'') नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पढ़ा जाए, यथासंशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की सूचीबद्धता संबंधी बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं के विनियम 44 तथा उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी उन सदस्यों को ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है, जिनके पास कट–ऑफ तारीख, अर्थात **गुरुवार, 17 सितंबर 2026** को कंपनी के शेयर हैं। सदस्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग रिमोट ई–वोटिंग तथा वार्षिक आम सभा के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के ई–वोटिंग प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। किसी एक या सभी प्रस्तावित कार्यों पर रिमोट ई–वोटिंग और वार्षिक आम सभा के दौरान ई–वोटिंग के निर्देश वार्षिक आम सभा की सूचना में विस्तार से दिए गए हैं। केवल वह सदस्य, जिनके नाम कट–ऑफ तारीख को डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, रिमोट ई–वोटिंग या वार्षिक आम सभा के दौरान